न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 225 / 2023

अनवान : –

1. सन्तो पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49 / 44 की कुल 16.1920 हैक्ट भूमि में से 3 / 32 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीया के पति का नाम जयलाल दर्ज है। जयलाल के फौत होने के बाद वादीया ने नत्थुराम से शादी कर ली है। अब वादीया का पति नत्थुराम है। मतदाता सूची व परिवार राशन कार्ड में वादीया के पति का नाम नत्थुराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति का नाम जयलाल दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है एवं वादीया सरकारी एवं अन्य संस्थाओं की योजनाओं का लाभ नही ले पा रही है। अतः वादीया के पति का नाम जयलाल के स्थान पर नत्थराम के अंकन की घोषणा की जाकर वाद वादीया डिक्री फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जगई की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम जयलाल है जबकि वादीया के सभी दस्तावेजों में वादीया के पति का नाम नत्थुराम दर्ज है। साक्ष्य वादी में वादीया द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। नामान्तरण संख्या 31 रोही मौजा 13 जीजीएम

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीया के पति का नाम जयलाल दर्ज है। जयलाल के फौत होने के बाद वादीया ने नत्थुराम से शादी कर ली है। अब वादीया का पति नत्थुराम है। मतदाता सूची व परिवार राशन कार्ड में वादीया के पति का नाम नत्थुराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति का नाम जयलाल दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है एवं वादीया सरकारी एवं अन्य संस्थाओं की योजनाओं का लाभ नही ले पा रही है। अतः वादीया के पति का नाम जयलाल के स्थान पर नत्थराम के अंकन की घोषणा की जाकर वाद वादीया डिक्री फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49/44 की कुल 16.1920 हैक्ट भूमि में से 3/32 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीया के पति का नाम जयलाल है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में वादीया के पति का नाम नत्थुराम दर्ज है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49/44 की कुल 16. 1920 हैक्ट भूमि में से 3/32 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में सन्तो पत्नी जयलाल के स्थान पर सन्तो पत्नी नत्थुराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सन्तो पत्नी जयलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सन्तो पत्नी जयलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 225/2023

अनवान : –

1. सन्तो पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 225 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 49/44 की कुल 16.1920 हैक्ट भूमि में से 3/32 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में सन्तो पत्नी जयलाल के स्थान पर सन्तो पत्नी नत्थुराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सन्तो पत्नी जयलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सन्तो पत्नी जयलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 16/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:23 IST
Reason: SelfAttested